

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 04.05.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, आज, न्यायाधीश, तरुणमित्र न्यूज़, समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

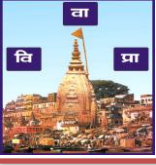
दैनिक जागरण—दि० 04.05.2025

300 वर्ग मीटर तक वीडिए के अपर सचिव और 500 वर्ग मीटर तक सचिव पास करेंगे नक्शा

जागरण संवाददाता, वाराणसी : भवन स्वामियों को सुविधा, तेजी से मानचित्र स्वीकृत कराने को लेकर वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने प्रशासनिक कार्य में बदलाव किया है। 300 वर्ग मीटर तक आवासीय शमन मानचित्र अपर सचिव परमानंद यादव को बनाया है। 300 से 500 वर्ग मीटर तक वीडिए सचिव डा. वीपी मिश्रा और अपर सचिव डा. गुडाकेश शर्मा होंगे। जोन एक व दो के प्रभारी अपर सचिव होंगे और तीन, चार व पांच की भवन स्वामियों को सुविधा, तेजी से शमन मानचित्र स्वीकृत कराने को लेकर वीडिए उपाध्यक्ष ने किया बदलाव जिम्मेदारी सचिव को दिया गया है। 500 वर्ग मीटर से अधिक नगर नियोजक प्रभात कुमार होंगे।

इनके स्तर से फाइल वीडिए उपाध्यक्ष के पास जाएगी। उपाध्यक्ष का कहना है कि नई व्यवस्था से आवासीय शमन मानचित्र तेजी से स्वीकृत होंगे। आनलाइन मानचित्र में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वीडिए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि जोनल अधिकारी के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम क्षेत्र में अवैध निर्माण रोकने के साथ नोटिस जारी करती है। उसके साथ ही भवन स्वामी शमन मानचित्र दाखिल करता है। आवासीय शमन मानचित्र की संख्या अधिक होने से प्रक्रिया पूरी होने में विलंब होता है। साथ ही सही ढंग से प्रपत्रों की जांच नहीं हो पाती है। जल्दीबाजी में गलती होने की संभावना प्रबल होती है। इसको देखते हुए जिम्मेदारियों में फेर-बदल किया गया है। आवासीय शमन मानचित्र दाखिल होने के साथ वार्ड के अवर अभियंता आकलन करने के साथ अपनी रिपोर्ट जोनल अधिकारी को देंगे।





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

हिन्दुस्तान—दि० 04.05.2025

33 माह में बनेगा मंडलीय कार्यालय

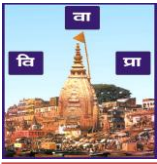
वाराणसी। मंडलायुक्त एस. राजलिंगम ने शनिवार को आयुक्त सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर एकीकृत मंडलीय कार्यालय परिसर के निर्माण संबंधी प्रगति की समीक्षा की। वीडिए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने पीपीटी के जरिये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एकीकृत मंडलीय को शासन से स्वीकृति मिल चुकी है। टेंडर भी जल्द जारी किया जाएगा।

हिन्दुस्तान—दि० 04.05.2025

नगर में चार निर्माण सील, अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त

वाराणसी। वीडिए प्रशासन ने शनिवार को सारनाथ के सिंहपुर में अरिहंत नगर कॉलोनी में लगभग तीन बीघे में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई। सिगरा में लगभग 130 वर्गमीटर में अवैध निर्माण सील किया। अवलेशपुर में तीन मंजिला भवन का निर्माण रोका। इसके अलावा शिवपुर में अवैध निर्माण सील किया। फुलवरिया में 148 वर्गमीटर में बेसमेंट का निर्माण और सिकरौल में भीम नगर में लगभग 25 वर्गमीटर क्षेत्रफल में मानचित्र स्वीकृत कराए बिना निर्माण रोक दिया गया।





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

आज-दि० 04.05.2025

असी नदी के सफाई का डीपीआर तैयार किया वीडो ने, निविदा निकाली नगर निगम ने

नगर निगम की नाला-नाली सफाई का दायरा कौन और कहाँ घोषित हो जाय निविदा के माध्यम से सफाई भी करा दी जाय यह पता करना बड़ा मुश्किल है। अभी हाल में बड़े नालों की सफाई के लिए निविदा आमंत्रित की गयी जिसमें संबंधित एजेंसियों को अलग-अलग कार्य सौंपा गया। आश्चर्य की बात यह है कि

बड़े नालों की सफाई दुरुस्त करना एक चुनौती है

अस्सी नदी में सिल्ट और गंदगी के सफाई के लिए भी निविदा निकाली गयी। जिसको कंदवा से लेकर इंदिरा नगर, संकट मोचन, असी, होते हुए सफाई की जानी थी। जबकि विकास प्राधिकरण और बीएचयू के आईआईटी विभाग असी नदी को पुनः जीवन देने के लिए डीपीआर तैयार कर रहा है और दोनों में विशेषज्ञों की कई बैठकों के बाद अंतिम रूप तैयार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार प्रथम चरण में सिल्ट निस्तारण और उसकी गहराई के आधार पर सफाई के लिए डीपीआर तैयार किया गया है। नगर

निगम प्रशासन संबंधित विषय में विप्रा से कोई संपर्क नहीं किया और असी नदी के सफाई का निविदा निकाल दी जो कि कई लाख में है। इस संबंध में मुख्य अभियंता मोइनुद्दीन ने बताया कि अगर असी के सफाई के लिए विप्रा की कोई योजना है तो निविदा को निरस्त की जायेगी। जबकि कुछ दिनों पूर्व बैठक में नगर निगम के भी अधिकारी मौजूद थे। इस प्रकार नाला सफाई के नाम पर धन की बंदरबाट समझ से परे हैं। वास्तविक रूप में देखा जाय तो कंदवा से असी तक अगर सिल्ट और गंदगी की सफाई करनी हो तो लगभग २५० डंफर मलबे का निस्तारण हो सकता है। इसी तरह विभाग ने दौलतपुर आजमगढ़ रोड जहाँ की कई वर्षों से सफाई के नाम पर फर्जदागी की जाती है यहाँ पर सिल्ट का ठीक-ठाक उठान होने पर कम से कम सैकड़ों डंफर गंदगी निकलेगी। इसी प्रकार शिवपुर, तरना क्षेत्रों में भी मेन नाले से सिल्ट हटाना आसान काम नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि बड़े नालों पर धीरे-धीरे पाटकर लोगों ने कब्जे में ले रखा है समतल नाला न होने की वजह से सिल्ट निस्तारण में

दिवकत होगी। ऐसे में निविदा ली हुई कंपनी सिर्फ पुलिया पर सिल्ट निकालने के बाद उसकी फोटोग्राफी निकालकर कार्य सिद्ध होने का प्रमाण देती है अब देखना यह है कि असी नदी के सफाई का कार्य वीडो या नगर निगम में से कौन करेगा।

न्यायाधीश-दि० 04.05.2025

जोन-1, वार्ड- शिवपुर के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही की गयी



वाराणसी। उपाध्यक्ष वविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-1, वार्ड- शिवपुर के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी और सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी

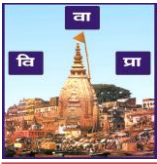
मिश्रा, अवर अभियंता रोहित कुमार प्रवर्तन टीम उपस्थित रही। सील बंद कराये गये निर्माण का विवरण निम्नवत है: जोन-1 में सौरभ पटेल द्वारा मौजा - फुलवरिया रोड, कैट, वार्ड- शिवपुर, जिला - वाराणसी में लगभग 148 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में (बी एचजी) वेसमेंट का निर्माण कर भू-तल पर कालम खड़ा करके फिनिशिंग का कार्य बिना स्वीकृति मानचित्र कराये निर्माण कार्य किये जाने पर अवैध निर्माण को सील किया गया। जोन-1 में अज्ञात द्वारा मौजा - भीम

नगर, वरुणा बूज के पहले वार्ड- शिवपुर, जिला-वाराणसी में लगभग 25 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में कालम खड़ा करके फिनिशिंग का कार्य बिना स्वीकृति मानचित्र कराये निर्माण कार्य किये जाने पर अवैध निर्माण को सील किया गया। उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।



: vcvdavns | Varanasi Development Authority, Janhit Service : janhit.upda.in, E-Tender : etender.up.nic.in

Online Building Plan Approval System : www.upobpas.in, Awas Bandhu, Govt of UP: www.awas.up.nic.in



वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

न्यायाधीश—दि० 04.05.2025

वीडीए जोन-3 द्वारा सील किया गया अवैध निर्माण



वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा के विरुद्ध सील की कार्यवाही द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में सम्पादित की गयी। वार्ड- वाराणसी विकास प्राधिकरण दशाश्वमेध, के अंतर्गत हरिकेश वाराणसी जोन-3 वार्ड-दशाश्वमेध, बहादुर सिंह, भवन सं० - डी- के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण 59/15 मौजा - सिगरा में लगभग

130 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में भूतल के ऊपर छत डालकर फिनिशिंग का कार्य किये जाने पर 30प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा-27 के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 03.05.2025 को स्थल को सील कर दिया गया तथा सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। मौके पर जौनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, अवर अभियंता रविन्द्र प्रकाश व प्रवर्तन टीम उपस्थित रही।

न्यायाधीश—दि० 04.05.2025

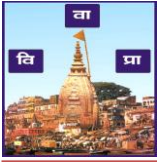
वीडीए जोन-4 द्वारा सील किया गया अवैध निर्माण



वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा अवलेशपुर, वार्ड- नगवां, जिला - द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी में लगभग 4090 के क्षेत्रफल में (बी.टू.जी.टू) निर्माण पूर्ण करके फिनिशिंग का कार्य किये जाने पर 30प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा-27 के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही करते हुए आज दिनांक

03.05.2025 को स्थल को सील कर दिया गया तथा सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। मौके पर जौनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता आदर्श निराला व प्रवर्तन टीम उपस्थित रही। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

न्यायाधीश—दि० 04.05.2025

वीडीए जोन-2 द्वारा की गई अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही



वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-2 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड- सारनाथ के अन्तर्गत महेन्द्र कुमार गौतम के द्वारा मौजा- सिंघपुर, अरिहंत नगर कॉलोनी, वार्ड- सारनाथ, थाना- सारनाथ में लगभग 3 बीघा में की अवैध प्लॉटिंग बिना ले-आउट पास कराये अवैध प्लॉटिंग विकशित की जा रही थी, 30 प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27 के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, उक्त अवैध प्लॉटिंग को आज दिनांक 03.05.2025 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से प्लॉटिंग ध्वस्त किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी श्री प्रकाश, अवर अभियंता विनोद कुमार प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

